

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारानी अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

दिनांक - 31.01.18

क्रमांक रीडर/2018/333  
प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

1 हरजीराम पुत्र देदाराम  
जाति जाट निवासी लोरटी  
हाईट (बढा) पटवार क्षेत्र  
उण्डखा तहसील व जिला  
बाड़मेर।

1 शिवजी राम पुत्र मुकनाराम जाति जाट निवासी  
लोरटी हाईट पटवार क्षेत्र उण्डखा तहसील व  
जिला बाड़मेर व अन्य।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 124/2017

दिनांक- 29.01.18

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा लोरटी हाईट (बढा) पटवार क्षेत्र उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 522 रकबा 0.09 बीघा, खसरा संख्या 691/531 रकबा 27.12 बीघा, खसरा संख्या 693/523 रकबा 24.00 बीघा, खसरा संख्या 696/523 रकबा 31.10 बीघा, खसरा संख्या 699/539 रकबा 21.10 बीघा, खसरा संख्या 700/619 रकबा 13.10 बीघा, खसरा संख्या 728/523 रकबा 0.04 बीघा, खसरा संख्या 729/523 रकबा 0.10 बीघा, खसरा संख्या 735/531 रकबा 0.10 बीघा, खसरा संख्या 736/619 रकबा 16.15 बीघा, खसरा संख्या 737/539 रकबा 0.19 बीघा व खसरा संख्या 743/539 रकबा 0.10 बीघा कुल रकबा 137.19 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर प्रश्नकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(नीरज मिश्र)

उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

दिनांक- 31.01.18

क्रमांक :- रीडर/2018/334

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी उण्डखा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. हरजीराम पुत्र देदाराम जाति जाट निवासी लोरटी हाईट (बढा) पटवार क्षेत्र उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी शिवजी राम पुत्र मुकनाराम वगैराह जाति जाट निवासी लोरटी हाईट पटवार क्षेत्र उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर